"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2013— पौष 14, शक 1934

# भाग 3 (1)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्रारूप क्रमांक-4
[ देखें नियम 5 (1)]

रा. प्र. क्र. 01ब/113/वर्ष 2012-2013

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 ) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) ]

**लोक न्यासों के पंजीयक कबीरधाम जिला के समक्ष**

क्रमांक/1703/अ. वि. अ./प्रवा. 1/2012.— यत: कि चंद प्रकाश उपाध्याय आ. वैद्यश्री परमानंद उपाध्याय, निवासी-शांति दीप कालोनी कवर्धा, तहसील कवर्धा ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये श्री शंकराचार्य जन कल्याण लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 45 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

## अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण )

1. लोक न्यास का नाम व पता :

1. जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शिष्य श्री स्वामी ब्रम्हानंद सरस्वती जी महाराज.
2. स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज.
3. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज.
4. ब्रम्हचारी सुबुद्धानंद जी महाराज शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज.
5. डॉ. गोवर्द्धनसिंह ठाकुर पिता स्व. श्री रम्मनसिंह ठाकुर
6. श्री चन्द्रप्रकाश उपाध्याय पिता श्री परमानंद उपाध्याय
7. डॉ. आनंद मिश्रा पिता डॉ. पवन कुमार मिश्रा
8. श्री हरिश कश्यप जी पिता स्व. श्री नीलकंठ कश्यप जी
9. श्री हरि शुक्ला जी पिता स्व. श्री चमरूप्रसाद शुक्ला जी
10. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी जी पिता श्री खोरबहराराम चन्द्रवंशी जी
11. **श्री शिवकुमार शास्त्री जी पिता स्व. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा जी कबीरधाम**

2. **लोक न्यास की संपत्ति का विवरण चल संपत्ति-** : **दिनांक 30-12-2011 की स्थिति में चल सम्पत्ति 1,00,000.00 (अक्षरी एक लाख रुपये है.)**

अचल संपत्ति : अचल सम्पत्ति के ब्यौरे ग्राम या कस्बा जहां यह अवस्थित है दर्शित करते हुए नगरपालिका या भूमि खसरा क्रमांक निर्धारण और अवधि के विवरण समेत जिस पर धारित हो (सम्पत्तियों) के संबंध में अधिकारी अभिलेख या नगरपालिका अभिलेख की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न नहीं है अर्थात् कोई अचल सम्पत्ति नहीं है.

लोक न्यास का उद्गम 1 नवम्बर 2011 है. प्रक्रम और उद्देश्य-न्यास की स्थापना मूलरूप से सारंगपुर खुर्द में भगवानराम का मंदिर स्थापित करना है एवं कवर्धा कचहरीपारा में स्थित श्रीरामजानकी मंदिर का जीर्णोद्धार करना.

- मंदिर का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, प्रतिदिन नित्यकार्य एवं पूजा वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से होता रहेगा.
- इसके मुख्य परिसर में वैदिक सनातन धर्मी का प्रवेश रहेगा.
- गर्भ गृह में नियुक्त पुजारी ही जा सकता है.

- गौणपरिसर में किसी का भी प्रवेश हो सकता है.

- भोग का प्रसाद इसमें सबका अधिकार होगा.

मंदिर से लोक कल्याण की प्रक्रिया सभी लोगों के लिये होगी इससे किसी भी धर्म ज़ाति के लोगों का कल्याण हो सकेगा.

न्यास के समान उद्देश्य वाली संस्थाओं ट्रस्टों, समितियों, सोसायटी संगठनों संस्थानों आदि के साथ समन्वय करना.

- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैठकों, सभाओं, संगोष्ठियों, ज़न रैलियों जन सभाओं तथा ज़ागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन.

- अन्य सार्वजनिक पारमार्थिक न्यासों एवं संस्थानों को सहायता प्रदान करना.

- न्यास मंदिर के निर्माण के संबंध में सभी आवश्यक कार्य करेगा.

- न्यास सभी प्रकार के लोक कल्याण कार्य करेगा जैसे कि विद्यालय चलाना, अनाथालय चलाना, आश्रम एवं वृद्धा आश्रम खोलना.

- शारीरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम या मानसिक रूप से अपंग किसी भी प्रकार का जन कल्याण कार्य.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | न्यास के आय के स्त्रोत | : | न्यासियों एवं दान दाताओं से प्राप्त दान की राशि. |
| 5. | औसत सकल वार्षिक आय | : | वर्तमान में कुछ नहीं परन्तु भवन निर्माण के बाद 12,00,000/- वार्षिक |
| 6. | विल्लंगम | : | कुछ नहीं. |

जारी दिनांक 8-10-2012.

**एम. डी. तिगाला,**
अनुविभागीय अधिकारी.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.